

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) सांचौर

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 14

दिनांक :- 29.05.2024

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी

चित्तलवाना

प्राथीया

दरिया कंवर

बनाम

अप्रार्थीण

प्रागसिंह वगैरह

मुकदमा नंबर :- 349 / 2014

तारीख पेशी :- 19.06.2024

अन्तर्गत धारा 40, 88, 188 राज. काश्त. अधिनियम

विषय :- पत्रावली स्थानान्तरित करने बाबत

उपरोक्त अनवान मामलें में न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया, अवलोकन करने पर पाया कि उक्त पत्रावली में विवादित आराजी मौजा भाटवास में आई हुई है, मौजा भाटवास उपखण्ड क्षेत्र चित्तलवाना के क्षेत्राधिकार में आता है।

अतः पत्रावली उपखण्ड क्षेत्र चित्तलवाना के क्षेत्राधिकार की होने से मूल पत्रावली आपको स्थानान्तरित की जाती है।

सलगन :- मूल पत्रावली।

श/क
@Anurag
13/06/2024

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
सांचौर (फास्ट-ट्रैक) सांचौर

